

अंचल अधिकारी का न्यायालय, गोमिया (बोकारो)।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

सुमन कुमारी

M/S

रामेश्वर यादव एवं अन्य

श पत्रक ता०- 17.12.2024 से

तक

जिला- बोकारो

केश सं०- 31/2024-25

केश का प्रकार- विविध वाद

आदेश क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
17/12/2024	आवेदिका- सुमन कुमारी, पति- महावीर यादव, निवास ग्राम- तेनुघाट 03 नंबर, कर्माटोंड थाना- गोमिया (तेनुघाट ओ०पी०), जिला- बोकारो के द्वारा एक आवेदन पत्र देकर सूचित किया गया है कि गोमिया अंचल अंतर्गत मौजा- साड़म के खाता सं०- 646, प्लॉट सं०- 5443, कुल रकबा- 15 डी० उनकी खरीदगी भूमि पर किये जा रहे गृह निर्माण कार्य को (1) रामेश्वर यादव उर्फ कईला यादव, पिता- स्व० भुलू गोप, (2) भिम यादव, पिता- स्व० धनीराम यादव दोनों निवास ग्राम- तेनुघाट 03 नंबर, कर्माटोंड थाना- गोमिया (तेनुघाट ओ०पी०), जिला- बोकारो के द्वारा दबंगई और रंगदारी कर जबरन रोक रहे हैं। जबकि उक्त जमीन पर उनका कोई दावा नहीं बनता है। अतः उनके द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए मापी हेतु उचित आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी को सूचना निर्गत करें। अभिलेख सुनवाई हेतु दिनांक- 30/12/2024 को रखें। अंचल अधिकारी, गोमिया।	1040 17/12/2024
30/12/2024	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम सुनवाई के दौरान अनुपस्थित हैं। विपक्षी सं० (2) के द्वारा उपस्थिति दर्ज करे हुए स्थिति जवाब दायर किया गया है। वाद की प्रगति सुनवाई दिनांक - 20/01/2025 निर्धारित की जाती है।	

अंचल अधिकारी

20/01/2025

डिमील पक्ष व ओर से अजिब व गरीब
आवेदक अनुपस्थित हैं। अयोध्याशरी के अन्न
करी में व्यय होने के कारण न्यायपाल्य नहीं
हो सका। 20/01/2025

19/01/25
अंचल अधिकारी

29/01/25

आवेदिका अनुपस्थित। डिमील पक्ष व
ओर से अजिब व गरीब हैं। अयोध्याशरी
के अन्न करी में व्यय होने के कारण
न्यायपाल्य नहीं हो सका।

19/02/2025

अंचल अधिकारी

19/02/2025

आवेदिका अनुपस्थित। डिमील पक्ष व
ओर से अजिब व गरीब हैं। अयोध्याशरी
के अन्न करी में व्यय होने के कारण
न्यायपाल्य नहीं हो सका। अगिलेख
दिनांक - 07/03/2025 के रखें।

19/02/25
अंचल अधिकारी

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

3

2

03/03/2025

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित हैं।
अभिलेख का इन्कलॉज्ड किया गया। बाद दस्तावेजों की रीति से प्राप्त एक आवेदन युनवाई के चौथे पृष्ठ पर अनुपस्थित है। प्रतीत होता है कि उन्हें इस बात की आगे बढ़ाने में कोई अहिंसा नहीं है। इस दस्तावेज के अभाव में बाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।
लेखापति एवं संचालिका


अंचल अधिकारी
गोमियां


अंचल अधिकारी
गोमियां